न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : पीयूष समारिया, आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या – 17 / 2025 (Bank Case)
GCMS NO 2025/180

भारतीय स्टेट बैंक शाखा आर.ए.सी.पी.सी., कोटा

– प्रार्थी / सिक्योर क्रेडिटर

बनाम

1. श्री मोडूलाल नागर पुत्र श्री कन्हैयालाल
2. श्री भैरूलाल पुत्र श्री बालाजी
3. श्री शिव शंकर नागर पुत्र श्री मोडूलाल नागर

पता– मकान नं. 865, सुभाष चन्द्र बोस नगर योजना, कोटा

–(ऋणी / सहऋणि / बंधककर्ता)

–अपार्थीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूमि हित प्रवर्तन अधिनियम 2002

उपस्थितः–

श्री कुलदीप सिंह जादौन, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांकः– 10.12.2025

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक भारतीय स्टेट बैंक शाखा आर. ए.सी.पी.सी., कोटा से अप्रार्थीगण ने दिनांक 16.06.2008 को राशि 14,20,000/– रूपये (अक्षरे चौदह लाख, बीस हजार रूपये मात्र) का ऋण लिया था। अप्रार्थी ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप मे **बंधक अचल सम्पत्ति– मकान नं0 855 सुभाष चन्द्र बोस नगर योजना कोटा में स्थित है जो कि श्री मोडूलाल नागर पुत्र श्री कन्हैयालाल एवं श्री भैरूलाल पुत्र श्री बालाजी के नाम से है । जिसकी चतुर्थ सीमाएं– पूर्व में–रोड 12 मीटर चौडी, पश्चिम में–अन्य प्लॉट, उत्तर में–प्लॉट नं.856, दक्षिण में–प्लॉट नं. 854 स्थित है जो विक्रय पत्र दिनांक 24.01.2008 से अप्रार्थीगण 1 व 2 के नाम से है** को प्रार्थी बैंक के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थी के खाते को दिनांक 30.05.2023 को एन.पी.ए. कर दिया गया । अप्रार्थी द्वारा उसके खाते में बकाया **राशि– 4,75,909/– रूपये (अक्षरे चार लाख पिचहत्तर हजार, नौ सौ नौ रूपये मात्र)** दिनांक 06.06.2023 तक शेष देय है व आगे का ब्याज व मय खर्चे आदि सहित पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थी जिम्मेदार है। प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी को दिनांक 06.07.2023 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया। नोटिस प्राप्ति के बावजूद बन्धकर्ता ने ऋण राषि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी वित्तीय संस्था को नही संभलाया है । प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते मे देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया ।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया । अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थी ने उनके खाते मे देय ऋण राषि मय ब्याज की राषि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत दिनाक 06.07.2023 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थी को प्रेषित किया गया, नोटिस प्राप्ति के बावजूद

ऋण राषि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी बैंक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के दिनांक 06.07.2023 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थी को प्रेषित किया गया, नोटिस प्राप्ति के के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी/बंधककर्ता **बंधक अचल सम्पत्ति– मकान नं0 855 सुभाष चन्द्र बोस नगर योजना कोटा में स्थित है जो कि श्री मोडूंलाल नागर पुत्र श्री कन्हैयालाल एवं श्री भैरूलाल पुत्र श्री बालाजी के नाम से है । जिसकी चतुर्थ सीमाएं– पूर्व में–रोड 12 मीटर चौडी, पश्चिम में–अन्य प्लॉट, उत्तर में–प्लॉट नं.856, दक्षिण में–प्लॉट नं. 854 स्थित है जो विक्रय पत्र दिनांक 24.01.2008 से** अप्रार्थीगण 1 व 2 के नाम से है का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है । उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/ कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों मे देय है तो संबंधित वित्तय संस्था द्वारा वहन किया जायेगा । आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक, पुलिस अधीक्षक (शहर) कोटा को हस्ब कायदा जारी हो। इस आदेश की कियान्विति आदेश जारी होने की दिनांक से एक माह बाद की जावें ।

आदेश आज दिनांक .12.2025 को सुनाया गया ।

(पीयूष समारिया)
जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज०)